

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2024/7165

दिनांक: 25.08.2026

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), (नगरपालिका) सीकर।

विषय :- नगरीय निकायों के चुनावों की घोषणा के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 1567 दिनांक 24.08.2026

महोदय,

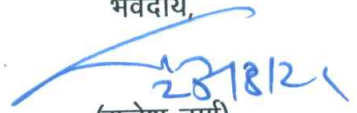
उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से अवगत कराया है कि जिले में 14 नगरीय निकायों में से 09 नगरीय निकायों का मतदान प्रथम चरण में तथा 05 नगरीय निकायों का मतदान द्वितीय चरण में करवाया जाना प्रस्तावित है। उक्त में से नगर परिषद फतेहपुर का मतदान द्वितीय चरण में दिनांक 11 सितम्बर 2026 को करवाया जाना प्रस्तावित है।

अतः दिनांक 11 सितम्बर 2026 के दिन भाद्रपद अमावस्या होने के कारण नगरीय क्षेत्र फतेहपुर में विभिन्न कुलदेवी मंदिरों में आमजन की आस्था और भावनाओं के कारण काफी भीड़ तथा बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन एवं विभिन्न धार्मिक आयोजनों के कारण यातायात व्यवस्था पर भी काफी दबाव रहता है।

अतः नगरीय क्षेत्र फतेहपुर में 11 सितम्बर 2026 में धार्मिक आयोजनों के मध्यनजर नगरपरिषद फतेहपुर का मतदान द्वितीय चरण से परिवर्तित करते हुये प्रथम चरण दिनांक 09 सितम्बर 2026 को करवाने बाबत निवेदन किया है।

आयोग द्वारा आपके प्रस्तावनुसार नगर परिषद फतेहपुर का मतदान द्वितीय चरण की निर्धारित तिथि 11 सितम्बर, 2026 में परिवर्तन करते हुए प्रथम चरण दिनांक 09 सितम्बर, 2026 को मतदान कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,



(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक : 25.08.2026

क्रमांक:एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2024/7166-74

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (वित्त मार्गोपाय) विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
6. आयुक्त श्रम विभाग, जयपुर, राजस्थान।
7. रिटर्निंग अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी सीकर।
8. समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल एवं राज्यीय दल, राजस्थान।
9. एनालिस्टर-कम-प्रोग्रामर राज्य निर्वाचन आयोग, समस्त संबंधित को ई-मेल कराने एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।



उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग